UPAD040555522022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।

मुकदमा संख्या : 30469/2022

राज्य बनाम छक्कन लाल पटेल

धाराः 323/504/506/427/326/304 भारतीय दण्ड संहिता

थानाः करछना, जिला इलाहाबाद।

अपराध संख्याः 226/2022

<u>सत्र सुपुर्दगी आदेश</u>

<u>दिनॉकः 21.12.2022</u>

वाद पुकारा गया। अभियुक्त छक्कन लाल पटेल जरिये विडियोकान्फ्रेसिंग कारागार से तलब होकर उपस्थित आया।

सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस थाना करछना द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अपराध संख्या 226/2022 धारा 323/504/506/427/326/304 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है, जोकि माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय अपराध में है। अतः प्रस्तुत प्रकरण को माननीय सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः इस वाद को विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है।

अभियुक्त को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में आवश्यक पुलिस प्रपत्रों की प्रतियॉ प्राप्त करायी जा चुकी है।

अभियुक्त माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष दिनॉक **<u>05.01.2023</u>** को उपस्थित हो। पत्रावली कलेण्डर तैयार करके अविलम्ब माननीय सत्र न्यायालय भेजी जाय। तदनुसार लोक अभियोजक सूचित हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।